

4.12.19

फावली पेशा-वादी एव ~~वकील~~ वकील वादी
अनुपास्थित । रूक-रूक कर तीन बार
आवाज लगावाइं बाइं । फावजू इतके
कोई उपस्थित नहीं । इससे जलील
होगा है कि वादी एव वकील वादी
अपने दावों को लेकर गंगील नहीं है
अतः दावा अदम हाजिरी अदम पैरवी
में इतनी स्तर पर खारिज किया जागा है
फावली फैसला अमां रोफर नम्बर
से कम की जाकर दाखिल दफ्तार हो।

